अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

04 16.01.2024	**न्यायालय उपायुक्त राँची।** अधिहरण वाद सं०–15R28/2023-24 राज्य बनाम् ज्योतिन्द्र नाथ महतो .... विपक्षी **आदेश** प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण राँची के पत्रांक 4399 (अप०शा०) ग्रा० दिनांक 12.08.2023 के द्वारा बुण्डू थाना कांड सं0–106/22 दिनांक 10.11.2022 धारा–4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rule 2004 and 4/21m MMDR Act 1957 and 7/11 Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining Transportation and Storage) Rule 2017 में अवैध बालू से लदे जप्त वाहन संख्या – JH01-AE-6773 के मालिक ज्योतीन्द्र नाथ महतो, पिता– स्व० नारायण महतो, निवासी अस्पताल टोली बुण्डू राँची, को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है। विपक्षी के अनुसार उन्होने बुण्डू थाना वाद सं० 106/2022 मे दर्ज प्राथमिकी को अपास्त करने के प्रार्थना के साथ माननीय उच्च न्यायायल मे डब्लु० पी० (सी०आर०) सं० 833/2023 दायर किया है, जिसमे माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.10.2023 को उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बुण्डू थाना वाद सं० 106/2022 मे कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं करने संबंधी आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर रिट याचिका डब्लु० पी० (सी०आर०) सं० 833/2023 मे पारित आदेश के आलोक मे प्रस्तुत वाद की कार्रवाही को स्थगित रखा जाता है। अभिलेख डब्लु० पी० (सी०आर०) सं० 833/2023 के निष्पादन के उपरान्त प्रस्तुत करें। 16/1/2024 उपायुक्त राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:24:58 -08:00
Location: 192.168.1.4